रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355 / 79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67 / 2018–20
चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127 / 204 एस जूही, कानपुर–208014

वर्ष –40 ● अंक –3 ● कानपुर 1 से 15 फरवरी 2018 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹ 100

प्रतीक्षा अभी भी शेष

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का प्रकरण जल्दी निपटना चाहियें परन्तु परिस्थितियां कुछ ऐसी आयीं कि यह प्रकरण और लम्बा होता जा रहा है, अवधि का बढ़ना कभी भी ठीक नहीं होता है क्योंकि जो काम शीघ्र निपट जाता है उसमें ज्यादा विवाद नहीं होता है, जिस काम में लम्बाई बढ़ती है उस कार्य को पूरा होने पर बाधायें आने लगती हैं। बाधायें तो पार हो जाती हैं परन्तु जो परिणाम की अपेक्षा लगाये बैठे होते हैं उनके मन में उत्साह की कमी हो जाती है और अनुत्साही काम उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं जिन परिणामों की अपेक्षा उत्साह के साथ होती है।

पूरे देश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ 9 जनवरी की तिथि को बहुत बेचैनी के साथ प्रतीक्षा कर रहा था, 28 फरवरी 2017 को जब भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमन हेतु इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी का गठन किया था यह समाचार जैसे ही फैला लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथ गदगद हो गये और यह सोचने लगे कि अब वह समय आ गया है जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई न कोई दिशा बन ही जायेगी। 28 फरवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 का समय इस प्रतीक्षा में बीत गया कि अभी हम प्रपोज़ल दे रहे हैं परन्तु जैसे ही 2017 का अन्तिम दिन गुज़रा और लोगों को यह ज्ञात हुआ कि प्राप्त प्रपोज़लों पर सरकार 9 जनवरी को चर्चा करेगी और इस चर्चा के लिए पूरे देश से 27 लोगों को आमंत्रित किया गया है और इन 27 में से 8 लोगों को यह अवसर दिया गया है कि वह अपने साथियों से समन्वय स्थापित कर भारत सरकार द्वारा गठित इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के समक्ष अपना पक्ष इतनी मज़बूती के साथ प्रस्तुत करेंगे कि इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के सदस्य कोई न कोई सकारात्मक निर्णय लेने के लिए विवश होंगे।

यह दिन बड़ी बेचैनी के साथ बीते, पूरे देश का लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथ परमात्मा से यह प्रार्थना करता रहा कि जो कुछ भी हो, सही हो ! इसी प्रार्थना और प्रतीक्षा में 9 जनवरी 2018 की तिथि आ गयी जिसका हम सब लोगों को बड़ी बेसब्री से इन्तज़ार था। नई दिल्ली में 9 जनवरी का दिन बहुत ठंड भरा था मौसम की हालत यह थी कि घर से निकलना मुश्किल था ट्रेनें घंटों लेट चल रही थीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना बहुत मुश्किल सा था परन्तु जब कुछ पाने के लिए जोश होता है तो सारी परेशानियां दर किनार कर व्यक्ति अपने स्थान तक पहुँचता है यही हालत इलेक्ट्रो होम्योपैथों की थी।

परिणाम अभी भी प्रतीक्षित
उहा–पोह में हैं साथी
एक अवसर और मिला
सभी हैं प्रयासशील
21 जून का बोल–बाला

पूरब हो या पश्चिम उत्तर हो या दक्षिण चारों दिशाओं से इलेक्ट्रो होम्योपैथ दिल्ली पहुँच रहे थे। जो 27 आमंत्रित थे उनको तो पहुँचना ही था परन्तु जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के समर्थक थे वह सैकड़ों की संख्या में इस कड़कड़ाती ठंडक में नई दिल्ली पहुँचे इस जोश में उम्र भी आड़े नहीं आ रही थी 70 से 80 वर्ष के आयु वर्ग के वह बुज़ुर्ग जिनके लिए सर्दी बहुत घातक होती है उन्होंने भी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए साथियों का उत्साहवर्धन करने के लिए नई दिल्ली जाना ही उचित समझा। जो आमंत्रित थे वह अन्दर गये और जो समर्थक थे वह रेडक्रॉस भवन के बाहर स्थित पार्क में बैठकर प्रतीक्षा की और पल पल यह जानकारी लेने की कोशिश की कि अन्दर क्या हो रहा है ? निर्धारित समय की अवधि समाप्त हुई और हमारे साथी बारी बारी से बाहर निकले और सबने एक दूसरे को अन्दर घटी घटनायें बतायीं, कुछ पल तो सब लोग एक साथ रहे परन्तु शीघ्र ही सब अपने अपने घटकों में बंट गये और वह ज़िम्मेदार जो अन्दर गये थे वह अपनी पीठ ठोंकते हुए यह बताने लगे कि उन्होंने ही ठीक बताया दूसरे ने गलत बताया, एक दूसरे पर आरोप लगने लगे, कोई किसी को अनुत्तरित बताता, तो कोई किसी को मुखर बताता इस घटना का परिणाम यह हुआ कि उत्साह कुछ पलो में ठंडा हो गया, लोग एक दूसरे को कोसते हुए अपने अपने गंतव्य को चले गये।

इस सब घटना का परिणाम यह हुआ कि उन लाखों लोगों की भावनाओं के साथ वह खेल खेला गया जिसकी उन्हें आशा भी नहीं रही होगी भारत सरकार द्वारा गठित इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के सदस्यों ने हमारे साथियों द्वारा की गयी प्रस्तुती के आधार पर यह निर्णय लिया कि इन्हें अपनी बातें रखने का एक अवसर और प्रदान किया जाये और इस हेतु 20 फरवरी, 2018 का दिन निश्चित किया गया है, इस 20 फरवरी, 2018 के दिन सरकार के द्वारा जो आमंत्रित किये जायेंगे उन्हें अपनी बात कहने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। इस बार भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को सबकुछ पता है परन्तु वह जो जानना चाहती है उसे स्पष्ट रूप से उसे बताया जाये इस बार सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर यह जानना चाहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या पढ़ाया जाता है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम की अवधि क्या है ?इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए क्या निर्धारित आर्हता है और इस पाठ्यक्रम का निर्धारण किन व्यक्तियों द्वारा किया गया है और जो व्यक्ति इस पाठ्यक्रम के निर्धारक हैं उनकी योग्यता क्या है ? इसके साथ साथ सरकार ने यह भी जानना चाहा है कि इस पाठ्यक्रम को जिन विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है उन विद्यालयों की स्थिति क्या है ?उनके भवन की स्थिति क्या है और इन विद्यालयों में जिन अध्यापकों द्वारा अध्यापन किया जा रहा है उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है ? इन सब के साथ साथ यह भी जानना चाहा है कि इन विद्यालयों की संख्या कितनी है और कहां कहां स्थित हैं। इन सबसे ऊपर यह भी जानना चाहा है कि जो संस्थायें इन विद्यालयों को संचालित करवा रही हैं उनकी वैधानिक स्थिति क्या है ?क्या उन्हें प्रमाण पत्र देने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है, एक्सपर्ट के नाम पर उन चिकित्सकों की सूची भी जाननी चाही है जो इस विधा से प्रैक्टिस करने का दावा कर रहे हों।

अन्त में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह भी चाही है कि औषधियों का आयात कहां से और कैसे होता है ?यद्यपि यह सारी की सारी जानकारियां हम सबके पास उपलब्ध हैं बस आवश्यकता है तो इसके प्रस्तुतीकरण की यदि हमने इस बार ठीक ठाक प्रस्तुति कर ली तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि भारत सरकार कोई विलम्ब लगाये। निराश होने की आवश्यकता नहीं है।

समर्पण पर भारी – महत्वाकाँक्षायें

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का विषय जितना नज़दीक आता जा रहा है उतनी चर्चायें बढ़ती जा रही हैं कहीं बेचैनी नज़र आ रही है तो कहीं पर एक अजीब सी शान्ति, इन दोनों के बीच जो चित्र उभर कर आ रहा है वह यही दिखला रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है।

पूरे देश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ यह आशा लगाये बैठा था कि 9 जनवरी को जब हमारे साथी भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत होकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए अपना पक्ष रखेंगे तब भारत सरकार संतुष्ट हो जायेगी और शीघ्र ही कोई न कोई ऐसी नीति का निर्धारण कर देगी जिससे कि आने वाले कुछ दिनों के अन्दर ही वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो जायेगी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमन की राह भी प्रशस्त हो जायेगी परन्तु आशाओं के विपरीत 9 जनवरी का जो घटनाक्रम रहा उसमें हमारे साथियों का उत्साह तो कम किया ही किया, साथ साथ जिस घटना का पटाक्षेप होना था उसकी अवधि और लम्बी कर दी। यहां तो स्थिति यह है कि सरकार आपको देने के लिए आतुर है परन्तु हम हैं जो ले ही नहीं पा रहे हैं।

इस देने और लेने के अन्दर जो विलम्ब है वह यह दिखा रहा है कि भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए देना चाहती है जिससे देश के अन्दर इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा से व्यवसायरत हज़ारों चिकित्सकों का कल्याण हो, साथ साथ देश को एक ऐसी चिकित्सा पद्धति मिले जो कि विकसित होकर उन गम्भीर बीमारियों को दूर करने में अपनी सहभागिता दे सके जिसके लिए वर्षों से पूरा चिकित्सा जगत प्रयास रत है कैंसर,लेप्रोसी जैसी अभी तक लाइलाज व गम्भीर बीमारी जिनको समाप्त करने के लिए सरकार भी प्रयासशील है यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सहयोग मिलता तो निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाता परन्तु यह परिवर्तन तभी सम्भव है जब महत्वाकाक्षाओं का स्थान समर्पण ले ले जिससे सभी का कल्याण हो सके।

संवैधानिक अधिकार

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत वर्ष के हम निवासी हैं और हर व्यक्ति के पास अपने संवैधानिक अधिकार हैं इन अधिकारों का प्रयोग हर व्यक्ति अपने-अपने अनुसार करता है यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है, हम भारत वासी अपने अधिकारों के प्रति सदैव सजग भी रहते हैं।

गत सप्ताह हम सभी देशवासियों ने गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े ही धूम-धाम से मनाया, आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी हमारा गणतंत्र दिनोंदिन मज़बूत होता जा रहा है इसके पीछे जो कारण है वह है हम सबके अपने संवैधानिक अधिकार, हम सभी जानते हैं कि देश को आज़ादी 15 अगस्त, 1947 को मिली थी परन्तु सन् 47 से लेकर सन् 50 तक वही पुराने कानून नियम, कायदे चलते रहे।

26 जनवरी, 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तभी सही मायने में गणतंत्र की स्थापना हुई थी, आज की नई पीढ़ी उसी गणतंत्र का आनन्द उठा रही है, यद्यपि 69 वर्षों में कई सारे संवैधानिक संशोधन भी हुये हैं, हम सब इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी इसी गणतंत्र का एक हिस्सा हैं और गणतंत्र के कारण जो संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त हुये थे उन अधिकारों का प्रयोग करते हुये पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास हुआ, हज़ारों की संख्या में इस विधा के चिकित्सक तैयार हुये और चिकित्सा व्यवसाय करते हुये लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया, हमारे चिकित्सक पूरे अधिकार के साथ चिकित्सा व्यवसाय तो करते हैं परन्तु इतना लम्बा समय बीत जाने के उपरान्त भी अभी तक सरकार की ओर से कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिये जाने के कारण परिस्थितियां निरन्तर असमंजस की सी स्थिति में बनी रहती हैं।

ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक आदेश जारी न किये गये हों समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सकारात्मक आदेश जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के अधिकारों की पुष्टि तो की गई है परन्तु स्पष्ट निर्देश न होने के कारण राज्य सरकारें भी कोई मज़बूत निर्णय नहीं ले पातीं, यद्यपि गत वर्ष 28 फरवरी, 2017 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमन के लिये एक इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी का गठन किया गया, इस कमेटी ने वर्ष पर्यन्त पूरे देश से इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बधित जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से लोगों से प्रपोज़ल आमंत्रित किये, सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुये पूरे देश से एक बहुत बड़ी संख्या में प्रपोज़ल भारत सरकार को प्रेषित किये गये उन प्रपोज़लों की छंटनी के बाद 27 प्रपोज़लों को प्रयोग के लिये उचित माना गया और इन 27 प्रपोज़ल भेजने वालों को 9 जनवरी, 2018 को रेडक्रॉस भवन नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया, इन 27 आमंत्रितजनों में मात्र 8 लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।

जिन लोगों को पक्ष रखने का अवसर मिला उन्होंने अपने-अपने स्तर से भारत सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा अब यह तो कमेटी के उन लोगों पर निर्भर है कि उन्हें हमारा पक्ष कितना मज़बूत लगा ! भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को सम्भवतः यह निर्देश दिया गया कि आगामी 20 फरवरी, 2018 को आप लोग पुनः अपना पक्ष रखेंगे, इस 20 फरवरी, 2018 को होने वाली मीटिंग में किसको अवसर मिलता है ?किसको नहीं मिलता ?यह अभी स्पष्ट नहीं है, हमें इस विषय पर नहीं जाना है कि किसे अवसर प्राप्त होता है और किसे अवसर नहीं मिलता है, हम तो यही चाहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति या समूह के रुप में इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के सामने जाये वह अपनी पूरी तैयारी के साथ जाये और यह प्रयास करे कि इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के सदस्य जो कुछ भी चाहते हैं उसके अनुकूल ही उत्तर दिये जायें।

जैसी जानकारियां छनकर आ रही हैं वह इस बात की ओर इंगति करती हैं कि हममे से कुछ ने जो जानकारियां सरकार को उपलब्ध करायी हैं सम्भवतः इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के सदस्य उन जानकारियों से संतुष्ट नहीं हैं अस्तु 20 फरवरी का जो अवसर हमें मिला है उसका हम भरपूर लाभ उठायें और पूरा प्रयास करें कि ऐसी जानकारियां दी जायें जिनपर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं खड़ा किया जा सके।

भय जैसी कोई बात नहीं है सरकार भी चाहती है कि जो आन्दोलन वर्षों से चल रहा है उसका सम्मानजनक हल निकले और सरकार कोई ऐसा कानून बनाये जिससे कि देश में कार्यरत हज़ारों इलेक्ट्रो होम्योपैथों के अधिकार स्पष्ट हो सकें और उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति भी हो सके।

छटपटाहट आख़िर किस बात की !

अभी-अभी 9 जनवरी, 2018 को बीते चन्द घन्टे ही बीते थे कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश को इस बात की जानकारी हो गयी कि हमारे जो सूरमा इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी का सामना करने गये थे उन्होंने क्या किया ?

अलग-अलग संगठन अपनी-अपनी बातें कर रहे थे, भारतवर्ष में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के क्षेत्र में इस समय लगभग 10 या 12 ऐसे संगठन हैं जो 24 घण्टें सोशल मीडिया से चिपके रहते हैं और हर अच्छी-बुरी खबर को अपने-अपने ढंग से प्रस्तुत करते रहते हैं जबकि मात्र 27 लोग पूरे देश से 9 जनवरी, 2018 को रेडक्रॉस भवन, नई दिल्ली में आमंत्रित किये गये थे, इन 27 में से मात्र 8 लोगों को ही अपनी बात रखने के लिये सरकार ने अवसर दिया था, हाँ ! एक बात ज़रुर थी कि इन 8 लोगों के साथ 8 और लोगों को साथ निभानें का अवसर भी प्राप्त था परन्तु हमारे किसी भी साथी ने दूसरे साथी को उपयुक्त ही नहीं पाया, आठ के साथ आठ इसलिये थे क्योंकि सरकार यह चाहती थी कि जो अवसर प्राप्त व्यक्ति अपनी बात रख रहा हो यदि वह कहीं भ्रमित हो जाये या विषय वस्तु से भटक जाये तो ऐसे अवसर पर वह अपने साथी से जानकारी दिलवा सकता था परन्तु हमारे साथी स्वंय में इतने योग्य रहे कि उन्होंने अपने स्तर से ही हर बात कह डाली, किसी भी साथी को अवसर नहीं दिया, जिन लोगों को अवसर मिला वह तो अपनी पीठ ठोंक रहे हैं और जिन्हें अवसर नहीं मिला उनके मन में छटपटाहट के साथ-साथ क्रोध भी है और वह कहते घूम रहे हैं कि सरकार ने दोहरे मापदण्ड रखे हैं जब हमें बुलाया गया था तो हमको भी अवसर मिलना चाहिये था।

लेकिन सत्य क्या है ! उसे हममें से कोई नहीं स्वीकारता, हमें एक प्रसंग याद रखना चाहिये " कुछ दिनों पहले टी0 वी0 पर एक लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित होता था उसमें जो व्यक्ति हॉट सीट पर होता था उसे अपनी सहायता के लिये कुछ अवसर प्राप्त होते थे " सरकार ने कुछ इसी तरह 27 में से 8 प्रतिभागियों को हॉट सीट पर बैठने का अवसर प्रदान किया था इस तरह से हर व्यक्ति के पास दो अन्य व्यक्तियों का अवसर प्राप्त था यदि खेल की ही तरह इस नियम का पालन किया गया होता तो बहुत सम्भव है कि 20 फरवरी को दुबारा मीटिंग की अवश्यकता ही नहीं पड़ती और परिणाम भी प्रबल सम्भावित हो जाते इस प्रकार किसी को कोई न तो छटपटाहट होती और न ही कोई ईर्षा परन्तु नियति को तो कुछ और ही स्वीकार था।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो होना है वह तो होकर ही रहेगा ऐसा सोचकर यदि कार्य न किया जाये तो भी उचित नहीं होगा, वर्तमान में जो कुछ भी दिखायी पड़ रहा है उसे तो देखकर ऐसा लगता है कि कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता है और सुने भी क्यों ?क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जितने भी लोग हैं उनकी मानसिकता एक दूसरे से मेल नहीं खाती है और इसी मेल न खाने का परिणाम है जो आज हमें दिखायी पड़ रहा है।

28 फरवरी, 2017 जब से भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमितीकरण के लिए इन्टर डिमापार्टमेन्टल कमेटी का गठन किया गया और यह अपेक्षा की गयी कि जितने भी लोग संस्था के रूप में, संगठन के रूप में या व्यक्तिगत स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में जो भी जानकारी रखते हों वह भारत सरकार को उपलब्ध करायें, अपने उस पत्र में भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि यह आवश्यक नहीं है कि अलग अलग लोग प्रतिवेदन की शक्ल में प्रपोज़ल प्रस्तुत करें, सरकार चाहती थी कि सामूहिक रूप से कोई एक ही प्रपोज़ल प्रेषित किया जाये परन्तु जो भी हुआ वह किसी से छुपा नहीं है अभी लोगों में प्रपोज़ल के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं आयी थी कि 7 लोगों द्वारा अपने अपने स्तर से भारत सरकार के पास प्रपोज़ल प्रेषित कर दिये इन प्रपोज़लों का क्या हुआ ! यह भी सर्वविदित है जो लोग प्रथम आवृत्ति में आगे आये उनकी मानसिकता स्पष्ट हो चुकी थी कि वह किसी से बात नहीं करना चाहते थे और न ही इस बारे में चर्चा करना चाहते थे, इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने जिस स्तर का प्रपोज़ल प्रेषित किया भारत सरकार द्वारा उसे स्तरहीन माना गया, एक तरह से यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लोगों की अज्ञानता का संकेत था।

भारत सरकार ने हम सबको एक अवसर पुनः दिया जब उसने दोबारा पत्र लिखकर सबको सूचित किया कि जो प्रपोज़ल सरकार के पास भेजे जा रहे हैं उनका स्वरूप क्या हो और जो सूचनायें वांछित हैं उतनी ही सूचनायें दें और एक बार पुनः भारत सरकार ने यह राय दी कि पृथक-पृथक प्रपोज़लों के स्थान पर एक प्रपोज़ल प्रेषित करें इस सूचना के उपरान्त भी हमारे किसी भी साथी ने इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया, हाँ ! कुछ सप्ताहों तक एक शान्ति रही परस्पर मिलने जुलने की प्रक्रिया प्रारम्भ रही एक दूसरे से चर्चा भी खूब हुई कई विषयों पर गम्भीरता के साथ मंथन भी किया गया परन्तु धीरे धीरे सबकुछ रूक सा गया जिसको जो करना था वह कर गुज़रे, हमारे बहुत से ऐसे साथी थे जो यह कह रह थे कि हम प्रपोज़ल नहीं देंगे, शायद उनका भी मन नहीं माना और उन्होंने ने भी प्रपोज़ल भेज दिया, अब यह प्रश्न उठता है कि जो कल तक न नुकुर कर रहे थे उन्होंने अन्तिम समय में प्रपोज़ल क्यों भेजे ? इसका सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि लोगों की महत्वाकांक्षायें इतनी अधिक हैं जिसके कारण वह अपने आपको रोक नहीं पाते, भारत सरकार ने तमाम प्रपोज़लों पर दृष्टि डालने के बाद जिन 21 लोगों को अवसर दिया वह भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाये यह प्रपोज़लों की अधिकता का परिणाम ही था कि अन्तिम समय में जिन जिन लोगों के प्रपोज़ल भारत सरकार को प्राप्त हुए उन्हें 30 तारीख को यह सूचना दी गयी कि उनमें से 6 और लोगों को रेडक्रॉस भवन जाने का अवसर प्राप्त हुआ है यदि यही प्रपोज़ल पहले भेज दिये गये होते तो बहुत सम्भव है कि जो पक्षकार थे उनकी संख्या 8 से कुछ ज़्यादा होती, जो कुछ भी होना था वह हो गया, 9 जनवरी की तारीख का पटाक्षेप हो चुका है अब एक बार पुनः 20 फरवरी, 2018 का अवसर है इस दिन हमारे साथियों को बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुये कमेटी के सामने जाना है, इस बार जो अवसर मिला है बहुत सम्भव है कि 20 फरवरी 2018 के प्रस्तुतीकरण के बाद इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाये परन्तु जिस तरह के दृश्य और जिस तरह की घटनायें घट रही हैं वह यह संकेत दे रही हैं कि किसी के पास कोई ठोस नीति नहीं हैं जितने भी लोग हैं सब अलग अलग धाराओं में बह रहे हैं, लगभग 20 दिन बीत जाने के उपरान्त भी अभी कोई ठोस नीति बनती नज़र नहीं आ रही है, यह चिन्ता की बात होने के साथ साथ गम्भीर चिन्तन का विषय भी है। 9 जनवरी, 2018 की प्रस्तुतीकरण की जो तस्वीर दिखायी जा रही है उससे प्रेरणा लेने के स्थान पर व्यक्तिगत महत्वाकंक्षायें ही ऊपर उठती दिखायी दे रही हैं।

आने वाले कुछ दिनों के अन्दर कोई ठोस निर्णय न लिया गया तो सिर्फ़ सिवाय छटपटाहट के कुछ नहीं होगा।

तार–तार होता अनुशासन

जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है, जहाँ पर अनुशासन टूटता है वहाँ की सारी व्यवस्थायें चरमरा जाती हैं, व्यक्तिगत जीवन हो या सार्वजनिक जीवन जहाँ भी अनुशासन टूटता है वहाँ व्यवस्थायें बदल जाती हैं अनुशासन से तात्पर्य किसी कड़े नियम के पालन करने से नहीं है, वरन अनुशासन से तात्पर्य यह है कि जो नियम हमने बनायें हैं या जिन नियमों में चलना है यदि वह नियम टूटते हैं जो कुछ भी होता है वह कहीं से भी सहज नहीं लगता। हम यदि प्रकृति पर दृष्टि डालें तो हमें यह स्पष्ट दिखता है कि जो लोग प्रकृति के बनाये नियमों का पालन नहीं करते हैं निश्चित तौर पर उन्हें अपने जीवन में कष्ट का अनुभव करना ही पड़ता है, उदाहरण के रूप में प्रकृति ने यह नियम बना रखा है कि ऋतु और कालचक्र के अनुरूप ही हमें कार्य करने चाहिये जो जीवधारी इसके विपरीत कार्य करते हैं तो उसे उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, यथा शीत काल में हम शीतल वस्तुओं का सेवन करेंगे तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा और यह प्रतिकूलता तन और मन दोनों को अस्वस्थ कर देती हैं इसलिए सुविज्ञ जन जीवन में अनुशासन की महत्ता पर विशेष ज़ोर देते हैं।

अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अनुशासन से क्या सम्बन्ध है ! तो जिन लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि आज जो कुछ भी दृश्य हमें दिखायी पड़ रहा है उसकी ज़िम्मेदारी किसी के पास है तो वह ज़िम्मेदारी है अनुशासन –हीनता की, यह सर्वविदित है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अभी मान्यता नहीं प्राप्त हुई है और इसी मान्यता के पाने के लिए हम और हमारे साथी वर्षों से संघर्षरत हैं, इतने लम्बे संघर्ष के बाद अब यह अवसर आया है कि यह आभास होने लगा है कि अब तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का या तो नियमन हो जायेगा या फिर मान्यता की तरफ़ कोई मज़बूत कदम बढ़ जायेगा परन्तु अभी यह मात्र आभासी है अन्तर सिर्फ़ इतना आया है कि आज से कुछ महीने पूर्व तक हम जिस मान्यता की कल्पना किया करते थे अब वह मान्यता साकार होती दिखायी पड़ रही है परन्तु यह कल्पना साकार कैसे हो ! इसपर अभी भी कई सारे प्रश्न खड़े हैं।

28 फरवरी, 2017 से 9 जनवरी, 2018 तक के कालखण्ड पर यदि हम दृष्टि डालें तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, अवसर पर अवसर मिलते गये, क्या हमने इन अवसरों का सही लाभ उठाया यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद ही किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथ के पास हो !यदि उत्तर है तो मात्र यही उत्तर है कि यदि हम अनुशासित ढंग से कार्य कर रहे होते तो जो शंकायें बार–बार जन्म ले रही हैं उन शंकाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता ! समय अपनी गति से बढ़ता चला जा रहा है और परिवर्तन भी उसी के हिसाब से होते जा रहे हैं हम परिवर्तनों को आत्मसात तो करते हैं परन्तु परिवर्तनों के अनुरूप न तो स्वयं को ढाल पाते हैं और न ही ऐसा कोई प्रयास करते हैं जिससे यह लगे कि हम बदल रहे हैं कहने को तो बात बड़ी अतर्कसंगत सी लगती है परन्तु आज की सच्चाई यही है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलन में जितने भी लोग आज सामने दिखायी पड़ रहे हैं वहाँ उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षायें सामने दिखायी पड़ रही हैं, कोई भी संगठन आगे बढ़कर अपना समर्पण नहीं करना चाहता, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात तो सभी करते हैं परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई नहीं करता, जो लोग यह दावा करते हैं कि हम सिर्फ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भला चाहते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समर्पित भाव से सिर्फ़ और सिर्फ़ पद्धति के लिए कार्य करना होगा यदि ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया गया होता तो सम्भावनायें और प्रबल हो गयी होतीं।

विडम्बना तो यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालनों की मानसिकता आज भी अपने अस्तित्व के लिए है, सबके सब यही चाहते हैं कि उनका अस्तित्व बचा रहे, हमारे किसी साथी को यह नहीं भूलना चाहिये कि हम जितने लोग भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े हैं उनका अस्तित्व या उनका परिचय इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर ही निहित है। जितने भी शीर्ष संगठन संचालक हैं यदि आज वह सम्मान पा रहे हैं तो उसके पीछे उनकी योग्यता और कार्य तो हो सकते हैं परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पृथक करके यह किसी भी तरह से सम्भव नहीं है, यदि हम सामान्य चिकित्सक की बात करें तो वहाँ पर भी अनुशासन नहीं नज़र आता है प्रमाण–पत्र तो वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी से लेता है परन्तु कुछ ही प्रतिशत ऐसे चिकित्सक हैं जो शुद्ध इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा व्यवसाय करते हों हम इस बात से गुरेज़ नहीं करते हैं कि रोगी के हित में यदि किसी चिकित्सक द्वारा किसी अन्य पद्धति का सहारा ले लिया जाता है तो कुछ पल के लिए बुराई नहीं है परन्तु यही जब आदत बन जाती है तो ऐसी आदतें कभी भी अपनी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा नही दे सकती हैं।

हमारे चिकित्सकों में एक कमी और है कि बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं जो अपनी विधा को छिपाते हैं कुछ चिकित्सक तो अपने आप को होम्योपैथी चिकित्सक घोषित करते हैं और कुछ गुमनाम रहते हैं, अब ऐसे लोगों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की विकास की बात करना कहाँ तक न्यायोचित है !

अनुशासनहीनता की यदि हम बात करें तो एक उदाहरण पर्याप्त है, उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए यह नियम बनाया गया कि प्रदेश में जो भी चिकित्सा व्यवसाय करेगा वह अपने व्यवसाय हेतु अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ पंजीकरण का आवेदन करेगा यह आदेश हर विधा के चिकित्सकों पर प्रभावी है इसलिए इस नियम के पालन करने की ज़िम्मेदारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों की भी है, चिकित्सकों में पंजीयन के लिए जागरूकता बढ़े इस हेतु तरह–तरह के प्रयास किये गये बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया गया पूरे प्रदेश स्तर पर जगह–जगह गोष्ठियां की गयीं, चिकित्सकों के सम्मेलन किये गये, प्रेस कानफ्रेन्स के माध्यम से भी चिकित्सकों को सूचित करने का प्रयास किया गया, तमाम प्रयासों के उपरान्त भी हमारे चिकित्सकों ने पंजीयन की दिशा में उदासीनता ही दिखायी।

बहुत सारे चिकित्सकों ने जब यह शिकायत की कि मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के कर्मचारी उन्हें पंजीयन का आवेदन नहीं देते और यदि आवेदन पत्र दे भी देते हैं तो उसे स्वीकारने में आनाकानी करते हैं, बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने चिकित्सकों की परेशानी को समझा और आवेदन प्रपत्र छपवाकर हर चिकित्सक को डाक द्वारा उनके घर तक प्रेषित करने का प्रयास किया परन्तु जिस संख्या में चिकित्सकों द्वारा पंजीयन के आवेदन प्रेषित करने थे उनकी संख्या उंगलियों में गिनी जा सकती है, जब चिकित्सकों से इस उदासीनता के लिए चर्चा की गयी तो तरह तरह की बहानेबाज़ी बनायी गयी यह एक तरह से अनुशासनहीनता की श्रेणी में ही आता है, अब ऐसे अनुशासन हीनों के साथ यदि कभी कोई विरूद्ध कार्यवाही हो जाती है तो वह पैथी को ही दोष देते हैं जबकि दोष उनका व्यक्तिगत होता है, एक दो नहीं ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पर अनुशासनहीनता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है।

सामान्य चिकित्सक की बात छोड़ दीजिए अभी–अभी गुज़रे 9 जनवरी, 2018 को जो कुछ भी हुआ वह किसी अनुशासन का स्वस्थ उदाहरण नहीं है। जिन 27 लोगों को भारत सरकार द्वारा पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया गया था और हर आमंत्रित व्यक्ति के साथ सहयोग हेतु एक और व्यक्ति जा सकता था, इस तरह से भारत सरकार द्वारा 54 लोगों को कमेटी के सामने आने का अवसर मिला था अच्छा होता यदि इन 54 लोगों की कहीं कोई सामूहिक मीटिंग होती और जो बिन्दु जवाब देने के लिए निर्धारित थे उनपर चर्चा होती, यद्यपि सभी लोग बुद्धिमान और ज्ञानी हैं परन्तु कभी कभी अल्पज्ञानी की सलाह भी बहुत उपयोगी है, यह अलग बात है कि 27 आमंत्रित गणों में से 8 लोगों को पक्ष रखने का अवसर था यदि यही 8 लोग पहले मीटिंग कर लेते तो, जो अलग–अलग दृष्टिकोण कमेटी के सामने आये बहुत सम्भव है कि कमेटी में बैठे लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाते।

संगठनों के नामों को लेकर कमेटी के सदस्यों द्वारा जिस प्रकार की मनोदशा दिखायी गयी यदि हम एक होते तो कमेटी कभी भी किसी के लिए हास्य परिहास नहीं करती। हम आज भी मानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में न तो प्रतिभा की कमी है और न ही योग्यता की बस उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है अपनी बात रखने की, इतने वर्षों के बीत जाने के बाद भी हमारे साथी अभी भी मैटी द्वारा प्रतिपादित इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सिद्धान्त पर आम सहमति नहीं बना पाये, यह सत्य है कि हर विषय पर लोगों की राय और दृष्टि अलग–अलग होती है परन्तु जो चीज़ सत्य होती है उसे स्वीकारना ही होता है। न्युटन ने जो नियम दिये उस समय कुछ वैज्ञानिकों ने उसका विरोध भी किया था परन्तु एक वह समय आया कि जब वह सर्वस्वीकार हुआ विज्ञान एक ऐसा विषय है जहाँ पर निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं शोध कभी भी स्थायी नहीं होते, जो शोध आज प्रासंगिक हैं कल वही शोध अप्रायोगिक भी हो जाते हैं इसलिए विज्ञान के विषय पर दृढ़ता नहीं होनी चाहिये अच्छा तो यह होता है जो नई उपलब्धियां हैं उन्हें स्वीकार किया जाये और उनपर उसी तरह से व्यवहार किया जाये। मैटी के काल में जो वातावरण था उसी के आधार पर मैटी ने अपने विचार रखे आज बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं इन परिवर्तनों से काफी कुछ बदल चुका है, मनुष्य के शरीर में प्रतिरोधक क्षमतायें भी बढ़ी हैं नयी–नयी अवधारणों ने जन्म भी लिया है परन्तु नये की स्वीकारिता में हम पुराने को भूल जायें यह उचित नहीं है।

आज हमें वैज्ञानिकता को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्वीकार कर चुकी है, अब वह सिर्फ़ यह जानना चाहती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो कुछ भी संचालित हो रहा है उसका आधार क्या है और जो लोग उसको संचालित कर रहे हैं उनकी योग्यता क्या है ? इसके पीछे सरकार का सिर्फ़ एक लक्ष्य है कि जो कुछ भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किया जा रहा है वह अनुशासित है या नहीं ! प्रमाण–पत्र देना, चिकित्सा व्यवसाय करना, शोध करना, कहीं से भी प्रतिबन्धित नहीं है परन्तु यह किस स्तर का दिया जा रहा अगर इसकी जानकारी सरकार मांग रही है तो उसमें परेशानी किस बात की है ! यह सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास किसी एक संस्था के बस की बात नहीं है इतना बड़ा देश जहाँ पर विभिन्न भाषा भाषी रहते हैं वहाँ पर अलग–अलग संस्थायें ही काम करती हैं, सी0बी0एस0सी0 बोर्ड राष्ट्रीय बोर्ड है परन्तु इसकी भी क्षेत्रीय शाखायें हैं और हर शाखा अपने अपने क्षेत्र के अनुसार नियम और कानून का अनुपालन करवाती हैं, इसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में लगभग एक सैकड़ा संस्थायें पूरे देश में लगी हैं अब ऐसे में किसी एक संस्था का यह दावा करना कि उसके अलावा बाकी संस्थायें बोगस हैं यह सिर्फ़ आत्म–प्रवचना है।

आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिस स्थिति पर है वहाँ पर सबका योगदान है किसी का प्रत्यक्ष है, किसी का परोक्ष

शेष अंतिम पेज पर

वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का भविष्य उजज्वल है

डा0 रईसुल रहमान – सलाहकार भारत सरकार

भारत वर्ष में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का भविष्य काफ़ी उज्जवल है पिछले 70 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकारों ने वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखा परन्तु वर्तमान सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास हो, इसके पीछे नयी सरकार की सकारात्मक सोच है पहले जो अधिकारी नीति निर्धारण करते थे और बजट निर्धारित करते थे उनकी दृष्टि में सिर्फ़ एलोपैथी ही रहती थी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए नाम मात्र का बजट आवंटित होता था जिससे कि आयुष से जुड़ी पद्धतियों का विकास नहीं हो पाया, इस नई सरकार ने आते ही आयुष मन्त्रालय का गठन कर दिया जिससे कि विकास का भरपूर अवसर प्राप्त हो रहा है यह विचार लखनऊ के गन्ना संस्थान में आयोजित आयुष के एक सम्मेलन में डा0 रईसुल रहमान सलाहकार भारत सरकार आयुष द्वारा व्यक्त किये गये।

आपको बताना यहां उचित होगा कि आयुष के इस सम्मेलन में आयोजन कर्ताओं द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में प्रदेश की एक मात्र अग्रणी संस्था बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को भी आमंत्रित किया गया था बोर्ड ने इस अवसर पर गन्ना संस्थान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बन्धित वैधानिक एवं शासकीय जानकारियां देने के उद्देश्य से वहां एक स्टाल लगवाया जहां पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बन्धित प्रपत्रों के साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी साहित्य को भी प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम को अपने विचार देते हुए डा0 रईसुल रहमान ने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए कहा कि किसी के लिए अच्छे दिन आये हों या न आये हों पर आयुष के लिए अच्छे दिन आ गये हैं। डा0 रहमान ने आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस समय पूरे देश में 7 लाख 82 हजार आयुष पंजीकृत चिकित्सक हैं आने वाले दिनों में आयुष की शिक्षा और चिकित्सा की गुणवत्ता बढ़ेगी।

डा0 रहमान ने इशारों इशारों में कहा कि भारत सरकार मान्यता के लिए प्रतीक्षित पद्धतियों का भी भला करना चाहती है। इस कार्यक्रम में किंग जॉर्ज मेडिकल कालेज के श्वास विभाग के विभागाध्यक्ष डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कोई भी पद्धति छोटी या बड़ी नहीं होती है यह चिकित्सक पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से अपना प्रभाव डाल पाता है, डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने चिकित्सकों के लिए 4 ए का महत्व बताया उन्होंने कहा कि ए से एबिलिब्टी अर्थात आपकी योग्यता, फिर एवलएबिल्टि अर्थात आपकी उपलब्धता तीसरा ए एक्सेप्टेन्स अर्थात आपकी स्वीकारिता चौथा ए एफोरडबिल्टी अर्थात आपको लोग कितना बर्दाश्त कर पाते हैं, जो चिकित्सक अपने जीवन में इन 4 ए का पालन करता है उसे कभी भी परेशानी नहीं होती।

डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि हर चिकित्सा पद्धति में कुछ छिपे गुण भी होते हैं और जो चिकित्सक इन छिपे गुणों को पहचान जाता है उस चिकित्सक की अपनी अलग ही पहचान बनती है, उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि बचपन में मेरे बेटे को कब्ज रहता था मैने बहुत एलोपैथी चिकित्सकों को दिखाया पर कोई लाभ नहीं हुआ कुछ चिकित्सकों ने ऑपरेशन की सलाह भी दे डाली तब मैने अपने एक चिकित्सक मित्र से कहा कि किसी अच्छे होम्योपैथ को बताओ, उन्होंने जिस चिकित्सक का नाम बताया मैं उनकी क्लीनिक पर गया, मैने उनसे अपना परिचय दिया फिर बच्चे के बारे में सारी जानकारी दी, उन्होंने ध्यानपूर्वक सारी बात सुनीं फिर अनायास उठे एक पुस्तक निकाली उसमें कुछ पढ़ा और दवाओं की कुछ पुड़िया मुझे दीं, मुझे कुछ पल तो शंका पैदा हुई कि यह कैसे चिकित्सक हैं जो पुस्तक का सहारा ले रहे हैं परन्तु मामला बच्चे का था मैं चुप रहा और बच्चे को तीन पुड़िया दवा खिलायी उन पुड़ियों ने चमत्कारी प्रभाव दिखाया बच्चे का कब्ज ठीक हो गया और आज भी स्वस्थ रहते हुए वह स्वयं एक योग्य चिकित्सक बन चुका है। कहने का आशय यह है कि हर पद्धति अपनी उपादेयता रखती है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के आयुष मंत्री माननीय धर्म राज सैनी ने अपने उदबोधन में कहा कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का जीवन में एक अलग स्थान है, गाँव–देहातों में आज भी हकीम और वैद्य चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हैं, परिवर्तन मात्र इतना हुआ है कि पहले ज्ञान प्राप्त चिकित्सक होते थे अब शिक्षित, प्रशिक्षित व पंजीकृत चिकित्सक हुआ करते हैं, चिकित्सक को चिकित्सा व्यवसाय करने से पूर्व अपना पंजीयन अवश्य करा लेना चाहिये, पंजीकरण की उपयोगिता सिद्ध करने के लिये माननीय मंत्री जी ने एक रोचक संस्मरण सुनाया, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे परिवार में भी चिकित्सा कार्य होता है, हमारे बाबा ने हमको बताया कि उनके गाँव के पास एक बहुत बड़े पुल का निर्माण हो रहा था उस पुल के निरीक्षण हेतु एक अंग्रेज़ इंजीनियर अपनी मेम के साथ आ रहा था कि रास्ते में उसकी पत्नी को पेट में अचानक दर्द होने लगा यह दर्द बहुत असहनीय था वह इंजीनियर डॉक्टर–डॉक्टर चिल्लाने लगा वहाँ पर उपस्थित श्रमिकों में से एक श्रमिक ने कहा साहब यहाँ दूर–दूर तक कोई भी डॉक्टर नहीं है, लगते गाँव में एक होशियार हकीम है विवश इंजीनियर मरता क्या न करता वाली कहावत पर अपनी पत्नी को हकीम जी के पास ले गया हकीम जी ने पत्नी की नाड़ी देखी और तीन पुड़ियां बनायीं और एक पुड़िया उस महिला के मुँह में डाल दिया कुछ ही क्षणों में ही पेट दर्द एक–दो–तीन कर के गायब हो गया, यह देख कर इंजीनियर बहुत प्रभावित हुआ उसने हकीम जी को कहा अपना लाईसेन्स निकालिये हम उसपर अपना कमेन्ट लिखेंगे, हकीम जी ने कहा कि यह लाईसेन्स क्या होता है ? तब इंजीनियर ने बताया लाईसेन्स मीन्स रजिस्ट्रेशन जिसके आधार पर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तब हकीम जी ने बताया कि यह तो उनके पास नहीं है ! इतना सुनना था कि वह इंजीनियर आग–बबूला हो गया उसने कहा बेवकूफ़, तुम मूर्ख प्रैक्टिस कर रहे हो, गैर जानकार आदमी अभी तुम तो मेरी वाइफ़ को मार ही डालते, मैं तेरे अगेंस्ट एक्शन की रिकोमेन्डेशन करूँगा यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आप कितनें भी योग्य क्यों न हों परन्तु यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और प्रैक्टिस कर रहें हैं तो यह एक दण्डनीय अपराध है।

इस कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी व प्रवक्ता डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई विशेष आमंत्रित के रुप में उपस्थित रहे, बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा लगवाये गये स्टॉल पर आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथिक छात्रों व चिकित्सकों की भीड़ रही जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे मे बड़ी रुचि लेकर इसे जाना और समझा।

इस स्टॉल को डा0 शिखा मिश्रा, डा0 राम अवतार कुशवाहा एवं डा0 प्रमोद सिंह द्वारा सफलता पूर्वक संचालित किया गया।

राज्य सरकार के प्रतिष्ठान गन्ना संस्थान लखनऊ में आयेजित आयुष सम्मेलन में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के स्टाल पर डा0 शिखा मिश्रा एवं डा0 राम औतार कुशवाहा –छाया गजट

तार–तार होता ....पेज 3 से आगे

प्रत्यक्ष है, किसी का परोक्ष इसलिए सब के योगदानों का सम्मान होना चाहिये और आने वाले कुछ दिनों में जो कुछ भी परिणाम आयेंगे वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए होंगे और जो उसके अनुरूप चलेगा उसे कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा, यहाँ पर भी अनुशासन ही ऊपर रहेगा अर्थात भारत सरकार जो कुछ भी नियम या कानून बनायेगी जो भी संस्था या संगठन उन नियमों या कानूनों का पालन करेंगे तो उनके हितों पर कोई आंच नहीं आयेगी।

सरकार जो कुछ भी करेगी उससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भला ही होगा चिन्तित या परेशान वह हो जो अनुशासन में नहीं रहते हैं इसलिए अभी भी हमारे सभी साथियों को चाहिये कि वह सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सोचें और उसी दिशा में कार्य करें। जो लोग यह प्रचार कर रहे हैं कि भारत सरकार के आदेश का लाभ सिर्फ़ वही संस्थायें उठायेंगी जो भारत सरकार द्वारा 20 फरवरी को आमंत्रित की गयी हैं तो यह लोगों का भ्रम है, जो लोग भी 20 फरवरी को भारत सरकार के समक्ष इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पक्ष प्रस्तुत करेंगे वह भारत सरकार की दृष्टि में वह मात्र इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रतिनिधि होंगे, यह अलग बात है कि जो वह प्रस्तुतीकरण देंगे उस प्रस्तुतीकरण के आधार पर कमेटी के सदस्यों का मन बन सकता है, दूसरे इस सत्य को भी नहीं भूलना चाहिये कि जो कुछ भी सामने दिख रहा है कि वही अन्तिम होगा, भारत सरकार के पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बन्धित सारी जानकारी है और सरकार जिस दिन जिस व्यक्ति या संगठन के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहेगी तब उसे जानकारी पाने में कोई भी असुविधा नहीं होगी।

सरकार के पास बहुत सारे ऐसे तन्त्र हैं जहाँ से वह हर जानकारियां एकत्रित कर सकती है सरकार ने पिछले एक साल से जो बार बार अवसर प्रदान किये हैं उसके पीछे यही लक्ष्य है कि जितने भी लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में लगे हैं वह अपने बारे में स्पष्ट जानकारी दें, वैसे लोगों में मानसिकता बदलने लगी है, पिछले दिनों कमेटी फेस करके आये एक सदस्य ने यह स्वीकार किया कि अब सरकार को जो कुछ भी बताना है वह सत्य बतायें।